विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 242

दुर्ग, दिनांक 27/07/2026

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 131
दिनांक: 08/05/2026

अधीक्षण यंत्री
नगर निगम भिलाई
बी.पी.क्रमांक — **1001990417**

आवेदक

विरूद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिविजन वेस्ट
2. सहायक यंत्री, कोहका जोन

अनावेदकगण

आदेश

आज दिनांक 27 / 07 / 26 को पारित किया गया

1. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सड़क बत्ती हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1001990417, स्वीकृत भार 23 किलोवाट, के विद्युत बिल में अनियमितता होने के संबंध में यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्य विवादित नहीं हैं —

1. आवेदक का उक्त विद्युत कनेक्शन सड़क बत्ती हेतु स्थापित है।
2. उक्त विद्युत कनेक्शन का स्वीकृत भार 23 किलोवाट है।

3. आवेदक का कथन

आवेदक की ओर से प्रस्तुत परिवाद में मुख्यतः यह शिकायत की गई है कि दिसंबर 2022 से अप्रैल 2026 की अवधि में लगभग 2500 से 4700 यूनिट के मध्य विद्युत खपत के आधार पर बिल जारी किए गए हैं, जबकि उक्त बिलिंग की वास्तविकता के संबंध में उचित मीटर रीडिंगध्फील्ड सत्यापन नहीं किया गया।

आवेदक का यह भी कथन है कि उक्त कनेक्शन का उपयोग सड़क बत्ती हेतु किया जाता है तथा बिलों में पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया गया है, जिसे आवेदक द्वारा अनुचित बताते हुए संबंधित राशि को निरस्तध्वापस किए जाने की मांग की गई है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा दिसंबर 2022 से अप्रैल 2026 तक का बिलिंग डाटा प्रस्तुत किया गया है। अनावेदकगण द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त कनेक्शन में स्थापित विद्युत मीटर दिसंबर 2022 से अप्रैल 2026 तक कभी भी डिफेक्टिव नहीं रहा तथा मीटर की उपलब्ध रीडिंग एवं दर्ज खपत के आधार पर नियमानुसार बिलिंग की गई है।

यह भी अवगत कराया गया कि जून 2025 में उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किए जाते हैं –

1. क्या आवेदक को जारी किए गए विद्युत बिल सही एवं नियमानुसार थे?
2. क्या आवेदक से पावर फैक्टर सरचार्ज की वसूली किया जाना उचित था ?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत बिलिंग गणना पत्रक एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह पाया गया कि आवेदक के विद्युत कनेक्शन में स्थापित मीटर दिसंबर 2022 से अप्रैल 2026 तक डिफेक्टिव नहीं रहा। उक्त अवधि में मीटर चालू स्थिति में था तथा मीटर में दर्ज खपत के आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं।

यह भी अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि जून 2025 में उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात दर्ज औसत खपत में पूर्व की खपत की तुलना में कोई ऐसी असामान्य अथवा महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई, जिससे पूर्व में की गई मीटर रीडिंग आधारित बिलिंग पर संदेह उत्पन्न हो।

फोरम द्वारा प्रस्तुत बिलिंग विवरण का परीक्षण करने पर बिलिंग में कोई ऐसी गणनात्मक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि स्थापित नहीं हुई है, जिसके आधार पर बिलों को संशोधित किया जाना आवश्यक हो।

केवल खपत की मात्रा में उतार–चढ़ाव होने मात्र से मीटर की रीडिंग अथवा बिलिंग को गलत नहीं माना जा सकता, जब तक कि मीटर के डिफेक्टिव होने अथवा रीडिंग की गलत के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध न हो।

अतः उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आवेदक को जारी विद्युत बिल सही एवं नियमानुसार पाए जाते हैं।अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निष्कर्ष अनावेदकगण के पक्ष में दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

उपलब्ध मीटर गणना पत्रक एवं बिलिंग अभिलेखों के अवलोकन से यह पाया गया कि संबंधित अवधि में विद्युत मीटर चालू स्थिति में था तथा मीटर द्वारा दर्ज पावर फैक्टरध्संबंधित विद्युत मानकों के आधार पर पावर फैक्टर सरचार्ज की गणना की गई।

प्रकरण में ऐसा कोई विश्वसनीय अभिलेख अथवा तकनीकी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो कि मीटर द्वारा दर्ज पावर फैक्टर गलत था अथवा पावर फैक्टर सरचार्ज की गणना निर्धारित प्रावधानों के विपरीत की गई।

अतः उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पावर फैक्टर सरचार्ज की बिलिंग में कोई अनियमितता स्थापित नहीं होती है।

अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का निष्कर्ष भी अनावेदकगण के पक्ष में दिया जाता **है।**

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदक अपने द्वारा की गई शिकायतों को प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है। अतः प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है –

1. आवेदक के विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1001990417 में दिसंबर 2022 से अप्रैल 2026 तक जारी किए गए विद्युत बिल मीटर में दर्ज खपतध्रीडिंग के आधार पर सही एवं नियमानुसार पाए गए हैं। अतः उक्त बिलों में किसी प्रकार का संशोधन किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

2. उक्त विद्युत कनेक्शन में की गई पावर फैक्टर सरचार्ज की बिलिंग सही एवं नियमानुसार पाई गई है। अतः पावर फैक्टर सरचार्ज को निरस्त अथवा वापस किए जाने का कोई आधार नहीं है।

3. परिणामतः आवेदक का परिवाद निरस्त किया जाता है।

4. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

5. आदेश पारित किया गया।

6. प्रकरण निराकृत

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग